विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2020/ 899 दिनांक : 10.08.2020

-:: प्रमाण-पत्र ::-

प्रमाणित किया जाता है कि,**बालकवि बैरागी टीचर एज्यूकेशन रिसर्च सेंटर,नीमच,**विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय है। महाविद्यालय में बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है।

उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन,भोपाल से प्राप्त आदेशों (कोविड-19 के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में) दिनांक 01.06.2020 एवं 18.06.2020 को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.06.2020 में प्रस्तुत किया गया एवं विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में महाविद्यालय को निरंतरता पत्र दिया जाना है।

उक्त महाविद्यालय के द्वारा प्रस्तुत,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,(एन.सी.टी.ई.)नई दिल्ली के विड्राल आदेश क्रमांक/ WRC/ OAPW0565/223072/B.Ed./M.P./310/2019/205948,Date 04.09.2019 के विरूद्ध,माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर याचिका क्रमांक/W.P.(C)10424/2019&CMNo.43025/2019, में पारित आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2019, तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली की वेबसाईट पर दिनांक 08.07.2020 को अपलोड शिक्षा महाविद्यालयों की WRC रिक्गनाईज्ड सूची (जिला-नीमच क्रमांक 08)को विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10.08.2020 में प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"निर्णय लिया गया कि,बालकवि बैरागी टीचर एज्यूकेशन,नीमच को सत्र 2020-21 में बी.एड.पाठ्यक्रम का निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु नेशनल काउन्सिल फार टीचर एज्यूकेशन,नई दिल्ली की वेबसाईट पर दिनांक 08.07.2020 को अपलोड किये गये रिक्गनाईज्ड सूची में उक्त महाविद्यालय का नाम होने एवं माननीय उच्च न्यायालय,नई दिल्ली के आदेश W.P.(C)10424/2019 & C.M. No. 43025/2019, एवं आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2019 एवं महाविद्यालय से प्राप्त शपथ पत्र के आलोक में महाविद्यालय को सत्र 2020-21 में निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाये।"

अतः उक्त निर्णय के परिपालन में सत्र 2020-21 में महाविद्यालय को निम्नांकित पाठ्यक्रम की निरंतरता प्रदान की जाती है।

(1) बी.एड.- सीट संख्या 100,

महाविद्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,(एन.सी.टी.ई.)नई दिल्ली, से मान्यता बहाली आदेश प्राप्त नहीं कर पाता है तो, सम्बद्धता स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। ऐसी स्थिति में सत्र 2020-21 में विद्यार्थियों के प्रवेश एवं परीक्षा की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं होगी। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि,महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के पश्चातवर्ती आदेश/निर्देश का पालन करने हेतु बाध्य होगा।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्ते/नियम, परिनियम क्रमांक 27 एवं 28 के प्रावधानानन्तर्गत यथावत रहेंगे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

232 E/New Fold./Affi.college/Neemuch/Affi.Latt

दिनांक :10.08.2020

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2020 / 900

प्रतिलिपि :—

01. प्राचार्य,बालकवि बैरागी टीचर एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च सेंटर, कनावटी, जिला–नीमच को उनके ऑनलाईन आवेदन क्रमांक / RENT30801622,दिनांक 26.02.2020 के संदर्भ में।
02. सदस्य सचिव,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,हंस भवन,द्वितीय विंग, बहादुरशाह जफर मार्ग,नई दिल्ली।
03. रिजनल डायरेक्टर, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,, मानस भवन,श्यामला हिल्स,भोपाल–462002,
04. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
05. क्षेत्रिय अतिरिक्त,संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन।
06. प्राचार्य, स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय,नीमच।
07. उप / सहायक कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय, विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
08. समन्वयक, ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
09. कुलपतिजी / कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

233 E/New Fold./Affi.college/Neemuch/Affi.Latt